

ब-अदालत, भूमि सुधार उप समाहर्ता, मधुपुर

केस का प्रकार ..... संख्या- ..... सन् .....  
आवेदक ..... बनाम .....

| आदेश की क्रम<br>संख्या और<br>तारीख | आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | आदेश पर की गई<br>कार्रवाई के बारे में<br>टिप्पणी, तारीख । |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 1                                  | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3                                                         |
| 20.1.2023                          | <p>अभिलेख उपस्थापित। अभिलेख का अवलोकन किया। आवेदक लम्बी अवधि से लगातार अनुपस्थित है। इससे प्रतीत होता है कि उभय पक्ष को इस वाद में कोई अभिरुची नहीं है। फलस्वरूप आगे की कार्रवाई चलाने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है।</p> <p>अतः आवेदक के अभिरुची के अभाव में, इस वाद को खारिज (Dismissed for Default) किया जाता है तथा वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती हैं।</p> <p>लेखापित एवं संशोधित</p> <p>भूमि सुधार उपसमाहर्ता<br/>मधुपुर</p> <p>भूमि सुधार उपसमाहर्ता<br/>मधुपुर</p> |                                                           |